

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पत्रवाड़ा-2025 शिविर- ठलरिया

प्रकरण संख्या:- 39/2025

दिनांक: 27/6/2025

उम्रमान

श्री रामेश्वर पुत्र धन्ना  
कुम्हार नि ठलरिया

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न पत्रावेला, पटवारी हल्का ठलरिया भू. अ. नि. चौथ का बरवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ठलरिया पो. हठ ठलरिया की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 417 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं. अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	इ प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
रहन (बैंक का नाम)	स्टेट बैंक ऑफ़ वीकानेर एवं लपडल	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
चौथ का बरवाड़ा (सं. म. 30)

प्रतिहिापी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर तब है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री रामेश्वर पुत्र धन्ना कुम्हार नि ठलरिया।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा

